न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2156 दिनांक 28/09/2022

प्रार्थीगण :-

1.चैना पुत्र शिवा
2.सिंधु पत्नि शिवा
जाति मेघवाल, निवासी समेलों का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. एजना पत्नि रमेशकुमार 2. कानजी पुत्र रूगाराम, जाति मेघवाल, निवासी समेलों का तला 3. सोहदरी पत्नि तेजाराम, जाति मेघवाल, निवासी देदूसर 4.हुरमी पत्नि ताराराम, जाति मेघवाल, निवासी मिये का तला 5.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 109/2022 दिनांक : **27.09.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र मिठड़ाऊ के मौजा समेलों का तला के खेत खसरा सं. 236/88 रकबा 08.0937 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2157 to 2160 दिनांक 28/09/2022

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण चैना वगैरा
3. विप्रार्थीगण एजना वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना/बाखासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:41:59 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन